राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।

क्रमांक–एफ.11(3)बजट घोषणा/मरम्मत/2016–17/SPL-1 जयपुर, दिनांक 19-8-2016

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय– माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख–रखाव व सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राशि रू. 40.00 करोड़ के कार्य करवाये जाने हैं। वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रथमतः आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित वे आंगनबाड़ी केन्द्र, जिनके भवन टूटी–फूटी अवस्था में है, जिनकी छत टपकती है एवं वृहद् मरम्मत कार्य करवाया जाना है, उनके परियोजनावार प्रस्ताव जिला स्तर पर संकलित करवाकर प्रस्तुत करवाये जाने अपेक्षित है ताकि तद्नुसार वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव भिजवाया जा सकें।

जिले से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के क्रम में यह सुनिश्चित करावें कि परियोजना स्तर से ऐसी आंगनबाडी कार्यों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावें, जिनमें मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। साथ ही प्रति परियोजना राशि रू. 13.15 लाख से अधिक के प्रस्ताव नहीं भेजे जावें।

उक्त मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी एजेन्सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है। बाल विकास परियोजनाअ अधिकारी, अपने परियोजना परिक्षेत्र के ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर उनके मरम्मत के तकमीने पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनको जिला स्तर पर परियोजनवार संकलित कर, उप निदेशक के माध्यम से निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के अधीन संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के वांछित प्रस्ताव **दिनांक 31 अगस्त, 2016 से पूर्व** प्रेषित कराने के सम्बन्ध में आपके स्तर से भी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें। इसे प्राथमिकता प्रदान करावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक, ICDS

क्रमांक–एफ.11(3)बजट घोषणा/मरम्मत/2016–17/SPL-1 जयपुर, दिनांक 19-8-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
3. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
6. आदेश पत्रावली।

19/8/16
(डॉ. पूर्णिमा शर्मा)
संयुक्त निदेशक (मोनीटरिंग)